Bihar Administrative Service Association

(Registration No-633/2003)

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.-9334118192

Sunil Kumar Tiwary
General Secretary
Mob. No.- 9431085120

Vice President
Ajay Kumar
9835737317

Subodh Kumar
7979919465

Joint Secretary
Chandrashekhar Azad
8987044905

Vikash Kumar
7717770977

Treasurer
Shashi Shekhar
9334557086

Memo No 56 Date 13.11.2022

सेवा में,

प्रधान सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार,पटना।

विषयः— बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापन में व्यापक स्तर पर विसंगतियों के तरफ ध्यान आकृष्ट करने के संबंध में।

प्रसंगः— (1) बिहार एडमिनिसट्रेटिव सर्विस एसोसिसयन का पत्रांक—03,दि0—06.01.20।
(2) वित्त विभाग, बिहार का पत्रांक—4028, दि0—07.05.2014।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करना चाहेंगे। वर्तमान मे बिहार प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव का—24, अपर सचिव का 47, संयुक्त सचिव का 183, अपर समाहर्त्ता का 171 एवं अन्य स्तर के अनेकों पद नियमित प्रोन्नति के अभाव में रिक्त है।

वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 4028 दिनांक 07.05.2014 के अनुसार उच्चतर पद रिक्ति होने एवं प्रोन्नति हेतु नियमित प्रक्रिया अपनाए जाने में विलम्ब होने के कारण कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत कनीय पदाधिकारी से उच्चतर पद का कार्य लिए जाने का प्रावधान उक्त पत्र की कण्डिका—4 में विस्तृत रुप से अंकित है।

वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों की पदास्थापना सूची के अनुसार पदास्थापन में निम्न रुप से पाई गई विसंगतियों की तरफ भवदीय का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैः—

(1) अपर समाहर्त्ता (दिनांक 1.11.2022) के पदस्थापन की वेब कॉपी(छाया प्रति संलग्न)के क्रम संख्या—01,03,08,09,11,25,27,28,30,32,35,36,37,41,44,45,47, 48,55,56,58,61,62,67,70,73,,78,80,85,90,91,99,101,104,105,108,110,111, 113,116,120,121,122,123 एवं 130(कुल 46 लगभग) पर अंकित पदाधिकारी

Bihar Administrative Service Association

(Registration No-633/2003)

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.-9334118192

Sunil Kumar Tiwary
General Secretary
Mob. No.- 9431085120

Vice President
Ajay Kumar
9835737317

Subodh Kumar
7979919465

Joint Secretary
Chandrashekhar Azad
8987044905

Vikash Kumar
7717770977

Treasurer
Shashi Shekhar
9334557086

Memo No .... Date ....

संयुक्त सचिव स्तर के पद पर कार्यरत है। शेष 89 पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता स्तर के पद पर कार्यरत हैं। स्पष्टता उक्त पदस्थापन में पद सोपान वरीयता सूची, आरक्षण इत्यादि को नजर अंदाज किया गया है जो वित्त विभाग के पत्रांक 4028 दिनांक 7.05.2014 द्वारा दिये गये दिशा निदेश का उल्लंघन है।

(2) इसी प्रकार उप सचिव स्तर के अनेकों पदाधिकारियों को भी पद सोपान, वरीयता एवं आरक्षण के प्रवधानों को दरकिनार करते हुए अपर समाहर्त्ता स्तर के पदों पर पदस्थापित किया गया है जो वित्त विभाग के प्रसंगाधीन निदेश का उल्लंघन है।

इस प्रकार के पदस्थापन से पदाधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकुल असर पड़ रहा है तथा यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकुल है।

अतः आपसे विनीत अनुरोध है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापन की समग्र समीक्षा की जाय तथा 15 दिनों के अंदर इसमें अपेक्षित त्रुटि का निराकरण करने की महती कृपा की जाए।

सादर।

अनुलग्नः— यथोपरि

विश्वासभाजन

13/11/22
(सुनील कुमार तिवारी)
महासचिव,

13/11/22
(शशांक शेखर सिन्हा)
अध्यक्ष

पत्र संख्याः-3ए-9-विविध-02/2014-**4028** वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रभात शंकर,
अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांकः-**07.05.2014**

विषयः- **उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिए जाने के संबंध में ।**

राज्य सरकार द्वारा राज्यकर्मियों को दक्षता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु उस संवर्ग में उच्च पद पर प्रोन्नति की व्यवस्था की गयी है । यह नियमित प्रोन्नति कर्मी को वरीयता, आरक्षण, चारित्री आदि प्रोन्नति के मानक शर्तों को पूरा करने पर विभागीय प्रोन्नति समिति (लोक सेवा आयोग सहित) की सम्यक् अनुशंसा पर दी जाती है । इस प्रकार से दी गयी प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रोन्नति का लाभ बिहार सेवा संहिता के नियम 58 के तहत प्रोन्नत पद पर योगदान की तिथि/प्रभार ग्रहण करने की तिथि से दिया जाता है । यह तभी संभव होगा जब प्रशासी विभाग द्वारा एक अग्रिम योजना बनायी जाय एवं ससमय प्रोन्नति दी जाय । प्रोन्नति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 7457, दिनांक 11/09/2002 एवं 7895, दिनांक 14/09/2004 के द्वारा सम्यक् अनुदेश निर्गत है ।

2. उच्चतर पद पर रिक्ति होने एवं प्रोन्नति हेतु नियमित प्रक्रिया अपनाए जाने में विलंब होने के कारण कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत कनीय पदाधिकारी से उच्चतर पद का कार्य लिया जाता है । सामान्यतः ऐसा करने का मुख्य कारण यह होता है कि उच्चतर पदधारक अपने कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी होते हैं तथा उस पद के रिक्त होने के कारण दैनिक कार्यकलाप बाधित होने की आशंका बनी रहती है । वित्त विभागीय पत्रांक 7020, दिनांक 24/12/2005 के द्वारा इन परिस्थितियों में कनीय पदाधिकारी को बाध्यकारी परिस्थिति में उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिए जाने का उल्लेख है; साथ ही यह भी अंकित है कि कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्च पद का दायित्व सौंपते समय पद की उपलब्धता, वरीयता, आरक्षण एवं प्रोन्नति के लिए पदाधिकारी की अर्हत्ता एवं उपयुक्तता को ध्यान में रखा जाय । इसके अलावे बिहार सेवा संहिता के नियम 103 के अधीन निम्नतर वेतनमान के संबंधित पदाधिकारी को उच्चतर पद का प्रभार ग्रहण करने हेतु औपचारिक आदेश निर्गत किया जाना भी आवश्यक रखा गया है ।

3. किन्तु यह देखा जा रहा है कि अनेक विभागों में कार्यकारी प्रभार दिए जाने के क्रम में उपर्युक्त प्रोन्नति के मानकों को दृष्टिपथ में नहीं रखा जा रहा है, फलतः वरीय कर्मी के रहते हुए कनीय कर्मी, जो उस समय प्रोन्नति के योग्य नहीं होते, को भी उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दे दिया जाता है । पुनः विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा या माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्यकारी प्रभार ग्रहण की तिथि से उच्चतर पद का लाभ देने के लिए विवश होना पड़ता है । सरकार के समक्ष ऐसे मामले भी आएँ हैं जिसमें बीस वर्षों तक उच्चतर पद के कार्यकारी प्रभार में रहते हुए पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो गए । इसका कुप्रभाव यह होता है कि वरीय कर्मी, जिन्हें कार्यकारी प्रभार नहीं दिया गया, को उच्च पद पर बिना कार्य किए कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नति लाभ देना पड़ जाता है

जो बांछनीय और स्वस्थ प्रचलन नहीं है । यह बिहार सेवा संहिता के मौलिक प्रावधान के विरूद्ध भी है कि बिना पद के दायित्व का निर्वहन किए कोई सरकारी सेवक उच्चतर पद का वेतन प्राप्त करे ।

4. उपर्युक्त को दृष्टिपथ में रखते हुए निम्नांकित मार्गदर्शन/निर्देश दिया जाता है:-

(क) अगले एक वर्ष तक होने वाली रिक्तियों को ध्यान में रख कर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त कर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए ।

(ख) जैसे ही कोई उच्चतर पद रिक्त हो, वरीयता/आरक्षण क्रम में उस पर पदस्थापन की कार्रवाई की जाए ।

(ग) अगर विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अनुशंसा प्राप्त अनुमोदित सूची किसी कारणवश उपलब्ध न हो तो निम्नांकित प्राथमिकता के अनुसार कार्रवाई की जाए:-

(i) जिस स्थान पर रिक्ति हुई है, उसी मुख्यालय में पदस्थापित वरीय पदाधिकारी को रिक्त पद का प्रभार लेने का आदेश दिया जाए ।

(ii) अगर रिक्ति वाले स्थान पर कोई वरीय पदाधिकारी उपलब्ध न हो तो स्थानीय कनीय पदाधिकारी को उक्त उच्चतर पद का प्रभार सौंपे बिना मात्र निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व सौंपा जाए । ताकि कार्यालय का दैनिक कार्यकलाप यथा वेतन निकासी बाधित नहीं हो ।

(iii) इस बीच नियमित प्रोन्नति की मानक शर्त्तों यथा वरीयता, आरक्षण एवं पदाधिकारी की अर्हता को ध्यान में रखते हुए पैनल तैयार कर लिया जाए । कार्यकारी प्रभार सौंपने का औपचारिक आदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया जाए ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-9-विविध-02/2014-**4028** वि0 पटना, दिनांक:-**07.05.2014**

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-9-विविध-02/2014-**4028** वि0 पटना, दिनांक:-**07.05.2014**

प्रतिलिपि:-सभी जिला पदाधिकारी/ महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

7.5.14

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001

(Registration No-633/2003)

Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No 03 Date 06.01.2020

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार, पटना।

विषय:- बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापन में विसंगतियों के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विगत कुछ वर्षो से बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापन में अपनाई गई नीति के कारण ऐसी विसंगतियाँ पैदा हो गई है, जो न केवल प्रशासनिक सिद्धांतो के विरूद्ध है बल्कि इसका बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है।

ऐसे अनेक उदाहरण पाए गए है जिसमें मूल कोटि के पदाधिकारी को उप-सचिव, अपर-समाहर्त्ता अथवा अपर सचिव तथा अपर सचिव स्तर के पदाधिकारी को अपर-समाहर्त्ता के पद पर पदास्थापित किया गया है। उदहारण स्वरूप सारण एवं सुपौल के अपर समाहर्त्ता अपर सचिव स्तर के पदाधिकारी है। इसी प्रकार उप सचिव स्तर के पदाधिकारियों को क्रमशः वरीय उप-समाहर्त्ता, सासाराम, भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, महनार (वैशाली) के रूप में पदस्थापित किया गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापन में हुई इस प्रकार की विसंगतियों को यथाशीघ्र दूर कराने तथा भविष्य में किये जानेवाले पदास्थापन में इस पर रोक लगाने हेतु संबंधित को निदेश देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन
6/1/2020
(अनिल कुमार)